सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (30.06.2008 को समाप्त तिमाही (01.04.2008 से 30.06.2008 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	187
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	5, धारा 8(1)(क) एवं 6, 8(1)(ख) 8(1)(छ), 4(1)(घ) के अंतर्गत
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	2, अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत, 1 अपील लंबित है जबकि दूसरी में निर्णय सी आई सी द्वारा दिया गया है।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्‌ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार एकत्रित किए जा रहे हैं। 30.06.2008 को समाप्त तिमाही के दौरान एकत्रित की गई कुल धनराधि नीचे दी गई है: **7070/- रूपए**
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	निर्वाचन, निर्वाचन विधि, निदेश, अनुदेश, मैनुअल, सांख्यिकीय रिपोर्ट, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्र, निर्वाचन परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां, निर्वाचन इत्यादि की अधिसूचना जन साधारण की सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर पहले ही डाल दी गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार वेबसाइट पर डाले जाने के लिए अपेक्षित विवरण उन अधिकारियों जिनसे उपर्युक्त उद्‌देश्य के लिए सम्पर्क किया जा सकता है, के सम्पर्क विवरण सहित वेबसाइट पर पहले ही डाल दिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग समय-समय पर अपनी वेबसाइट अद्‌यतित करता है जहां पर जन साधारण के लिए लाभदायक सूचना डाली जाती है। उत्तर सहित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची वेबसाइट पर भी डाली गई है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य